

श्रीमान् आयुक्त महोदय जी
नगर निगम, उदयपुर

विषय:- रजिस्ट्री द्वारा खरीदे गये आवास के नामान्तरण हेतू।

निवेदन है कि

1. रजिस्ट्री द्वारा खरीदे गये का आवास नम्बरशहर उदयपुर योजना/कॉलोनी का नाम जिसमें यह आवास है।
2. इस आवास के रजिस्ट्री द्वारा रजिस्टर्ड पॉवर ऑफ एटोनी द्वारा बेचान की चैनल का मैं अन्तिम क्रेता हूँ जिसे मैंने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक को खरीदा है।
3. इस आवास का मूल आवंटन को हुआ।
4. इस आवास का अदेय प्रमाण पत्र "मूल आवंटी को/ बेचान के नियमितिकरण पर/ मृत्यु उपरान्त नामान्तरण पर/नजदीकी रिश्तेदार के नामान्तरण पर " के नाम पत्र संख्या दिनांक में होकर प्रथम रजिस्ट्री दिनांक को इनके पक्ष में कारवाई गई।
5. आवेदन के साथ इस आवास के पेटे आवासन मण्डल द्वारा जारी सभी प्रपत्रों की प्रति व सभी बेचानों की रजिस्ट्रीयों की सत्यापित प्रतियां दे रहा हूँ।
6. आवास का है, जिसका नामान्तरण शुल्क रु बकाया राशि रु एवं एक मुश्त लीज राशि रु के जमा चालान आवंटन के साथ है।
7. भविष्य में इस आवास पर लागू नगर निगम, उदयपुर राजस्थान आवासन मण्डल के सभी नियम, शर्तें व काननों की पालना हेतू पूर्णतया पाबन्द हूँ अतः कृपया उक्त आवास का मेरे पक्ष में नामान्तरण कराने का कष्ट करे।

आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले वांछित दस्तावेज/सूचनाएं:-

1. शपथ पत्र, प्रथम श्रेणी दण्डनायक/नोटेरी पब्लिक द्वारा सत्यापित एवं नोटेरी से इन्द्राज अंकित करावे।
2. क्षतिपूर्ति बन्धक - पत्र प्रथम श्रेणी दण्डनायक/नोटेरी पब्लिक द्वारा सत्यापित एवं नोटेरी से इन्द्राज अंकित करावे।
3. रजिस्ट्री दस्तावेजों (सम्पूर्ण स्तर/चैनल) सूपाट्य छाया प्रतियां जो राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित है।
4. स्वयं एवं गवाहों के पहचान एवं पता सम्बन्धी प्रपत्रों की राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित प्रति (मय स्वयं हस्ताक्षरित)
5. हस्तान्तरण शुल्क (EWS - 5000/-, LIG-5000/-, MIG-A-1000/-, HIG-20000/- MIGB 15000/-)

भवदीय

स्थान:-

हस्ताक्षर

दिनांक:-

पूरा नाम

वर्तमान पता

मो.नं.

नोट:-

1. शीघ्र निस्तारण के लिये कृपया आवेदन फार्म, शपथ - पत्र व क्षतिपूर्ति बन्धक - पत्र (खाली स्थानों की पूर्ति सहित) टाईप करवायें तथा सभी वांछित दस्तावेज/सूचनाएं आवेदन के साथ ही दें। खाली छोड़े स्थान, अधूरी सूचनाएं, हाथ से भरे खाली स्थान अनावश्यक देरी/असुविधा का कारण हो सकते हैं।
2. पति-पत्नि आवेदक है तो अपना संयुक्त फोटो लगायें।
3. आप जाहिर आम सूचना का प्रकाशन आप स्वयं करायें एवं मूल अखबार कार्यालय में जमा करायें अन्यथा आपका आवेदन स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा।

आवास क्रेता द्वारा नगर निगम के पक्ष में वचनबद्धता पत्र 100/- रु के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर

मैंउम्रवर्ष निवासी उदयपुर
(राज.) एतद् द्वारा शपथ पूर्वक वचन देता/देती हूँ:-

1. कि आवास नं. योजना शहर उदयपुर का मैं/हम रजिस्ट्री द्वारा रजिस्टर्ड पॉवर ऑफ एटोर्नी द्वारा बेचान की चैनल का मैं अन्तिम क्रेता हूँ जिसे मैंने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक को खरीदा है।
2. कि राजस्थान आवासन मण्डल/नगर निगम द्वारा जिन नियम/कानून/शर्तों पर इस आवास का आवंटन हुआ था उन्हीं नियम/कानून/शर्तों को मानने के लिए बाध्य रहूंगा तथा भविष्य में भी इस आवास के लिए राजस्थान आवासन मण्डल/नगर निगम मण्डी किसी प्रकार के नियम/उपनियम निर्धारित करता है तो उन नियमों/उपनियमों का मानने को बाध्य रहूंगा।
3. कि इस आवास के विरुद्ध आवासन मण्डल को नियमानुसार देय लीजमनी/अन्य बकाया रशि मय शास्ती/ब्याज होगी, वह मैं जमा करवाने के हेतू बाध्य हूँ/रहूंगा।
4. कि मूल आवंटी/पश्चावर्ती क्रेताओं व विक्रेताओं से सम्बन्धित समस्त कानूनी विवादों यदि कोई है अथवा भविष्य में हुए तो विवाद से राजस्थान आवासन मण्डल, स्थानीय निकाय व राज्य सरकार को होने/हो सकने वाली किसी भी तरह की हानि की भरपार्ई करूंगा।
5. कि मैंने आवास आवंटन की समस्त नियम एवं शर्तों की जानकारी ले ली है और मैं इनको मानने के लिए बाध्य रहूंगा।
6. आवेदन पत्र के साथ नियमानुसार जो भी प्रपत्र प्रस्तुत किये हैं, वे सभी बिना किसी कांट - छांट के हैं तथा कुटरचित नहीं हैं। खरीदे गये आवास में किसी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि व अनाधिकृत निर्माण/अतिक्रमण नहीं किया जावेगा।

हस्ताक्षर वचन ग्रहिता


वचनबद्धता

..... उपरोक्त शपथग्रहण कर्ता शपथपूर्वक घोषणा तस्दीक करता हूँ/करती हूँ कि शपथ पत्र की मद नं. 1 से 6 मेरे निजी ज्ञान से बिल्कुल सही व सत्य है। इसमें कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर मरी मदद करे।

1. साक्षी हस्ताक्षरश्री/श्रीमति/सुश्रीपता..... हस्ताक्षर
पहचान पत्र..... (संलग्न है।) मो.नं.....
2. साक्षी हस्ताक्षरश्री/श्रीमति/सुश्रीपता..... हस्ताक्षर
पहचान पत्र..... (संलग्न है।) मो.नं.....

(पहचान पत्र स्वयं हस्ताक्षरित तथा राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित हो एवं उक्त 100/- का स्टाम्प नॉटैरी व इन्द्राज करा प्रस्तुत करें।)

आवास क्रेता द्वारा नामान्तरण के लिए क्षतिपूर्ति बन्धक – पत्र



यह क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र दिनांक को एक और से उम्र.....
.....वर्ष जाति..... निवासी..... उदयपुर (राज.)
जो एतद् द्वारा प्रथम भाग का पक्ष कहलायेगा जिसके पक्ष में जब तक प्रसंग में विरोध नहीं हो उसके
उत्तराधिकारी कहलाएगा (अधोहस्ताक्षरकर्ता सम्मिलित होंगे) और नगर निगम जो एतद् पश्चात् दूसरे भाग
का पक्ष कहलायेगी, जिसके अर्थ में जब तक कोई विरोध नहीं हो, उसके कार्यालय में अधोहस्ताक्षरकर्ता और
पदोत्तरवर्ती सम्मिलित होंगे।

यह कि आवास नं. योजनाशहर उदयपुर का “प्रथम भाग का पक्ष”
रजिस्ट्री द्वारा/रजिस्टर्ड पॉवर ऑफ एटोर्नी द्वारा बेचान की चैनल का अन्तिम क्रेता है जिसे ‘प्रथम भाग का
पक्ष’ ने इसके तत्कालीन मालिक से पूर्ण प्रतिफल चुकाकर जरिये भाग का पक्ष’ का व्यक्तिगत रूप से
मालिकाना हक है व आवास पर काबिज है। इस आवास के लिए नियमानुसार दूसरे भाग का पक्ष को प्रथम
भाग का पक्ष ने नामान्तरण खुलवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। अतः प्रथम भाग का पक्ष इस क्षतिपूर्ति
बन्धक पत्र के जरिये निम्नलिखित शर्तों को मानने के लिए रजामन्द, बाध्य व पाबन्द रहेगा।

1. चूंकि ‘दूसरे भाग का पक्ष’ का इस नामान्तरण पर कोई आपत्ति नहीं है परन्तु यह कि प्रथम भाग का पक्ष दूसरे भाग का पक्ष’ को समस्त प्रकार की घटनाओ, हानियों, हानि के क्लेमों जो कि इस प्रकार के नामान्तरण होंगे कि क्षतिपूर्ति करने को तैयार है। और यह संलेख निम्न प्रकार साक्ष्य रूप से निष्पादित किया जाता है कि ‘प्रथम भाग का पक्ष स्पष्ट असंदिग्ध रूप है।
 2. यह कि इस आवास का अदेय प्रमाण पत्र नं. दिनांक को जारी कर आवासन मण्डल द्वारा प्रथम रजिस्ट्री दिनांक को के पक्ष में निष्पादित करवा दी गई है।
 3. यह कि उक्त आवास प्रथम भाग के पक्ष ने दिनांक को इसके तत्कालीन मालिक से पूर्ण प्रतिफल राशि देकर जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र खरीद लिया है तथा वर्तमान में उक्त आवास पर मुझ प्रथम भाग का पक्ष का व्यक्तिगत रूप से मालिकाना हक है व मैं ही उक्त मकान पर काबिज हूँ।
 4. यह कि उक्त आवास का नियमानुसार नगर निगम में प्रथम भाग का पक्ष नामान्तरण खुलवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करता है तथा प्रथम भाग का पक्ष इस क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र के जरिये निम्नलिखित शर्तों से पाबन्द रहेगा।
- (क) यह कि प्रथम भाग का पक्ष द्वारा नगर निगम से उक्त मकान के सम्बन्ध में हस्तान्तरण हेतु जो दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं उन सभी दस्तावेजों पर मूल आवंटी/पश्चायतवर्ती क्रेता/क्रेताओं के हस्ताक्षर हैं, जो सही व सत्य है भविष्य में इसमें यदि किसी प्रकार का विवाद हुआ तो उसके लिए प्रथम भाग का पक्ष कानूनन हर्जे एवं खर्चे हेतु पूर्णतया जिम्मेदार रहेगा।

(ख) चूंकि द्वितीय भाग के पक्ष को इस हस्तान्तरण पर कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु यह कि प्रथम भाग का पक्ष दूसरे पक्ष को समस्त प्रकार की घटनाओं, हानियों, हानि के क्लेमों जो कि इस प्रकार के नामान्तरण से होंगे की क्षतिपूर्ति करने को तैयार है।

(ग) यह कि प्रथम भाग पक्ष एतद्द्वारा स्पष्ट रूप से इसका दायित्व लेता है, कि यदि प्रथम भाग के पक्ष के नाम पर इस परिवर्तन के फलस्वरूप होने वाले नामान्तरण/हस्तान्तरण पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आपत्ति उठाने से कोई नुकसान, हानियां व क्लेम हेतू यह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा और व दूसरे भाग के पक्ष को क्षतिपूर्ति एवं हर्जाना अदा करेगा और इस सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाली समस्त आपत्तियों का उत्तरदायी होगा।

(घ) यह कि प्रथम भाग का पक्ष इस पर सहमत है कि दीवानी, दायित्व के अतिरिक्त फौजदारी और ऐसी ही अन्य कार्यवाही का दायित्व जिसे दूसरा पक्ष, प्रथम पक्ष के विरुद्ध चलावे, का भी उत्तरदायित्व उस पर होगा।

(ङ) यह कि प्रथम भाग का पक्ष में उक्त नामान्तरण के पश्चात् राजस्थान आवासन मण्डल/नगर निगम के समस्त नियमों को सूचारु रूप से पालन करेगा, इससे चूक के लिए यदि राजस्थान आवासन मण्डल/नगर निगम द्वारा प्रथम भाग का पक्ष का नामान्तरण रद्द किया जाता है तो उसे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी तथा इससे राजस्थान आवासन मण्डल को होने वाले समस्त प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए प्रथम भाग का पक्ष कानूनन रूप से पाबन्द रहेगा।

अनुसूचि

साक्ष्य के रूप में क्रमशः प्रथम भाग के पक्ष और द्वितीय भाग के पक्ष ने अपने हस्ताक्षर किये।

.....

हस्ताक्षर प्रथम पक्षकार

मो.नं.

1. साक्षी हस्ताक्षरश्री/श्रीमति/सुश्रीपता.....
हस्ताक्षरपहचान पत्र..... (संलग्न है।) मो.नं.....

2. साक्षी हस्ताक्षरश्री/श्रीमति/सुश्रीपता.....
हस्ताक्षरपहचान पत्र..... (संलग्न है।) मो.नं.....

(पहचान पत्र स्वयं हस्ताक्षरित तथा राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित हो एवं उक्त 100/- का स्टाम्प नॉटेरी व इन्द्राज करा प्रस्तुत करें।)